# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 03 / 2024

हाजर खाँ पुत्र छोटा जाति मेव निवासी ग्राम सतवाडी तहसील पहाडी (डीग)

प्रार्थी

बनाम

1. जैतूनी पत्नी अहमदजान जाति मेव निवासी कोठरा आटा तहसील नूँह हरियाणा

अप्रार्थी

2. राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील पहाडी (डीग)
3. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, तहसील पहाडी (डीग)

फौरमल अप्रार्थी

4. लुकमान अली पुत्र मौहम्मद इब्राहीम
5. मुनफेद पुत्र जलेब खाँ जाति मेव निवासी ग्राम कठौल तहसील पहाडी जिला डीग

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थी
2. श्री प्रमोद शर्मा वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 , 4 व 5

दिनांक :– 14 / 08 / 2024

## निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 3968 / 0.40, 3870 / 0.35, 3883 / 0.13, 3884 / 0.24, 3885 / 0.24, 3886 / 0.33, 4057 / 0.10, 4058 / 0.12, 4059 / 0.10 हैक्टर बांके ग्राम कठौल तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है अप्रार्थी संख्या 1 ने आज से करीब 12 वर्ष पूर्व प्रार्थी से एकमुश्त रकम लेकर आराजी को प्रार्थी के सुपुर्द कर दिया और गैरसायल ने आराजी से अपने संबंध सदा–सदा के लिये तर्क कर लिये प्रार्थी आराजी पर 12 वर्ष पूर्व ही निरन्तर रूप से काबिज काश्त है। आराजी पर प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून प्रार्थी को खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होने का हक हासिल हो चुके है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज होता चला आ रहा है। जो कि खिलाफ कानून खिलाफ मौका व कब्जा है। जिसे प्रार्थी कलमजन कराकर अपने आपको आराजी में अप्रार्थीगण के हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने से अप्रार्थी के मन में बदयान्ती आ गई है जो कि आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय करना चाहता है। जबकि आराजी से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण ने आराजी के बेचान की धमकी दिनांक 20/01/2024 को दी है। यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी के मुताबिक कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरें नकद से संभव नहीं हो सकेगी । विधि वजह प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्राईमा फैसाई केस , सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति मुझ प्रार्थी के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वह कब्जे काश्त प्रार्थी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुन्तकिल ना करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 व 5 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी आराजी मुतदाविया से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने किसी प्रकार का कोई सौदा नहीं किया है। ना ही कोई रकम प्रार्थी से प्राप्त की है। प्रार्थी ने दावा में मनगन्ढत बनाई गई है। आराजी मुतदाविया के खसरा नम्बर 3868/0.40, 3883/0.13, 3884/0.24, 3885/0.24, 4158/0.12 हैक्टर को जरिये बयनामा अप्रार्थी संख्या 1 से अप्रार्थी संख्या 4 व खसरा नम्बर 3886/0.33, 4059/0.10 को अप्रार्थी संख्या 1 से अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रतिफल देकर सदभावना पूर्वक दिनांक 16/01/2024 को खरीदा है। आराजी मुतदाविया पर बयनामा से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त था तथा बाद बयनामा के अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। खसरा नम्बर 3870/0.35, 4057/0.10 हैक्टर पर आज भी अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा व काश्त है। प्रार्थी का आराजी मुतदाविया से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है जो काबिले खारिजी हैं । अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 123, आर0आर0 टी0 2016–17 पेज 637 पेश किये है जो प्रकरण पर बखूबी चस्पा होती है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी अप्रार्थीगण की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है । मुताबिक कानून खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

Scanned with OKEN Scanner

2. **सुविधा सन्तुलन** :– :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी अप्रार्थीगण की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है एवं प्रार्थी के हक हकूक मूल दावे में ही निर्णित होगे। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी को 12 वर्ष पूर्व प्रार्थी से एक मुश्त रकम लेकर आराजी को प्रार्थी के सुपुर्द कर दिया है। अगर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

**अतः आज्ञा है कि :–**

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी टी0आई0 दिनांक 15/02/2024 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)